न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–16/2017–18

राज्य बनाम मंजु देवी वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
08/08/18	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के पत्रांक 41/मु0 दिनांक 19.05.2017 से प्राप्त जमाबंदी रद्द वाद सं0 05/2016–17 के आलोक में आरम्भ की गयी। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के साथ ही विपक्षी मंजू देवी एंव अरूणजय पासवान की तरफ से वकालतनामा एवं आवेदन दाखिल किया गया। दिनांक 01.11.2017 को विपक्षी मंजु देवी एवं अरूणजय पासवान की तरफ से प्रति उत्तर भी दायर किया गया। अन्य विपक्षी ब्रहम्देव पासवान, बिहारी पासवान एवं महावीर पासवान के द्वारा दिनांक 20.01.2018 को वकालतनामा दाखिल किया गया। इस वाद का संक्षेप में तथ्य यह है कि अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा मौजा पैनाठी, खाता नं0 537 खेसरा नं0 476 रकवा 6डी0 के लिए मंजु देवी, पति अरूणजय पासवान के नाम से कायम जमाबंदी सं0 545 को रद्द करने हेतु अपने पत्रांक 1118 दिनांक 13.10.2013 के द्वारा प्रस्ताव अपर समाहर्ता, पटना को भेजा जाय। अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे खतियान में गैरमजरूआ आम गड़हा के रूप में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि की प्रकृति में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मंजु देवी के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी को अवैध बताते हुए रद्द करने की अनुशंसा की गयी थी। अंचलाधिकारी, बिहटा के प्रस्ताव के आधार पर इस न्यायालय में जमाबंदी रद्द वाद सं0 91/2013–14 संधारित कर वाद की सुनवाई की गयी तथा दिनांक 13.05.2015 को तत्कालीन अपर समाहर्ता के द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा को निम्न निदेश देते हुए वाद की कार्यवाही को Drop कर दिया गया। "उक्त विवेचनों के आधार पर अंचलाधिकारी, बिहटा को निदेश दिया जाता है कि – (i) प्रश्नगत प्लॉट के सम्पूर्ण रकवा का सम्बन्धित पक्षकारों के अतिरिक्त स्थानीय ग्राम पंचायत के पदधारकों को भी पूर्व सूचना देकर स्थल जाँच करें। स्थल पर पक्षकारों के अतिरिक्त कतिपय/तटस्थ	

व्यक्तियों का भी ब्यान दर्ज कर Memorandum of inspection तैयार करें। प्रश्नगत भूमिका कपिपय Photographs भी लेकर अभिलेख के साथ संलग्न करें

(ii) सम्पूर्ण प्लॉट का नापी करा कर कितने भूभाग पर किसका–किसका दावा है और उक्त दावे का क्या आधार है? उसके नाम से यदि जमाबंदी दर्ज है, तो उसे स्पष्ट करें।

यदि उक्त जाँचोपरान्त स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि की प्रकृति नहीं बदली है और उसका आज भी आम नागरिकों के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है तो उक्त समस्त तथ्यों का साक्ष्य Memorandum of inspection के साथ विधिवत अभिलेख खोलकर बिहार भूमि सुधार अधिनियम B.L.R Act 1950 की धारा–4(H) के तहत अवैध बंदोबस्ती को रद्द करने का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता (अधिनियम के अन्तर्गत समाहर्ता) दानापुर को भेजें।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत मामले की सम्पूर्ण समीक्षा कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रस्ताव समाहर्ता, पटना को भेजेगें, जहाँ पक्षकारों को सुनकर अग्रेतर विधि संगत कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त निदेश के साथ जमाबंदी रद्द की उक्त कार्यवाही को Drop किया जाता''

अपर समाहर्ता के उक्त निदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त जमाबंदी रद्द वाद सं0 05/2016–17 संधारित कर भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को भेजा गया।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा Bihar Land Reforms Act 1950 की धारा–4(H) के अंतर्गत कार्रवाई हेतु अभिलेख समाहर्ता, पटना को नहीं भेज कर इस न्यायालय को भेज दिया गया।

चूंकि इस वाद की सुनवाई Land Reforms Act 1950 की धारा–4(H) के अन्तर्गत की जानी है, जिसके लिए समाहर्ता, पटना ही सक्षम है। अतः इस वाद में सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु अभिलेख मूल रूप में समाहर्ता, पटना के न्यायालय को भेजें। इस आशय की सूचना संबंधित पक्षकारों को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित।

8/8/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

8/8/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना